उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–1001/सत्तर–1–2024–20(7)/2022
लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2024

मुख्य ट्रस्टी,
हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत गाज़ियाबाद में आपके द्वारा एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2024) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची–2 में क्रमाक 44 पर सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के संचालन की अनुज्ञा विषयक अधिसूचना संख्या–1000/सत्तर–1–2024–20(07)/2022 दिनांक 16 जुलाई, 2024 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार–पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन ही उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
(2) मंडलायुक्त, मेरठ मण्डल।
(3) जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
(4) कुलपति/कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(5) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
(6) कुलपति/कुलसचिव, डा ए0पी0जे0अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(7) निदेशक, बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/संस्थागत वित्त विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग।
(9) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

Registrar
HRIT UNIVERSITY
Ghaziabad

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–1000 / सत्तर–1–2024–20(7) / 2022
लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2024

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2024) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) द्वारा हरीश चन्द्र राम कली चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित, एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देते हैं।

आज्ञा से,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

Registrar
HRIT UNIVERSITY
Ghaziabad

Uttar Pradesh Shasan
Uccha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1000/70-1-2024-20(7)/2022. dated: 16 July, 2024:

Notification

No. 1000 /70-1-2024-20(7)/2022.
Lucknow ; Dated: 16 July , 2024

WHEREAS a private University with the name of HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh sponsored by Harish Chandra Ram Kali Charitable Trust, Ghaziabad, Uttar Pradesh has been established vide the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019), as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 11 of 2024) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh in Ghaziabad, Uttar Pradesh.

By order,

(M. P. Agrawal)
Pramukh Sachiv.

Registrar
HRIT UNIVERSITY
Ghaziabad